

ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય Central University of Gujarat

आकस्मिकता प्रपत्र CONTINGENCY FORM

छात्र का नाम: _____

Name of the Student: _____

नामांकन संख्या _____ संपर्क: _____

Enrollment No. _____ Contact No. _____

केंद्र: _____ संस्थान: _____

Centre: _____ School: _____

बैंक खाता संख्या: आकस्मिकता दावा वर्ष:

Bank Account No. Contingency claim for the year:

दावा की गई कुल धनराशि: अब तक प्राप्त आकस्मिकता:

Total Amount claiming: _____ Contingency received so far: _____

[illegible]

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने दिशानिर्देश ठीक से पढ़ लिए हैं और तदनुसार बीजक प्रस्तुत किए हैं
I hereby declare that I have read instruction properly and accordingly submitted.

छात्र के दिनांक सहित हस्ताक्षर
Signature of Student with date

पर्यवेक्षक के दिनांक सहित हस्ताक्षर और मोहर
Signature of Supervisor with date and stamp

विभागाध्यक्ष / अध्यक्ष के दिनांक सहित हस्ताक्षर और मोहर
Signature of Head/Chairperson with date and stamp

अधिष्ठाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर और मोहर
Signature of Dean with Date and stamp

प्रस्तुतीकरण दिनांक: _____
Submission Date: _____

निर्देशों का पालन किया जाए:

Instruction to be followed:

1. मूल बीजक छात्रों के नाम सहित दावा प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।
Original bills with the names of students should be attached with claim form.
2. बीजक पर राशि और प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
Amount of bill, purpose should be clearly mentioned in the bills.
3. बीजक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के होने चाहिए।
Bills should pertain to the period 1st April to 31st March of every financial year.
4. बीजक संस्थान के संबंधित व्यक्ति से सत्यापित होने चाहिए।
Bills should be verified by the dealing person of the schools.
5. सम्मेलन, संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क के मामले में अधिष्ठाता द्वारा स्वीकृति पत्र दावा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
In case of registration fees for attending conference, seminar, permission letter by the Dean, may be attached with the claim.
6. बीजकों को पर्यवेक्षक के मोहर सहित हस्ताक्षर और छात्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। साथ ही, बीजक संस्थान के अध्यक्ष या अधिष्ठाता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होने चाहिए।
Bills should be certified by the students and supervisor with the stamp and counter signed by their chairperson or dean of the schools.
7. यदि कोई बीजक बिना नाम के, बिल की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) या हेरफेर वाला पाया जाता है, तो उसके भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।
If any bills are found to be unnamed, photocopy/xerox of bills or manipulative, they will not be considered for payment.

केंद्र /संस्थान का संबंधित सहायक
Dealing Astt. of Centre /School